Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

कैलाशचन्द्र बनाम **जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **आदेश 41 नियम 19 जा0दी0**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **024** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पैरोकार सरकार हाजिर। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 005/2023(रसद) अनवानी कैलाशचन्द्र बनाम जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 25.07.2023 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने बाबत् आवेदन पेश किया गया है। वकील प्रार्थी द्वारा अपील को पुनः सुनवाई हेतु आवेदन दिनांक 05.03. 2024 को पेश किया गया जो कि बेरून मियाद अवधि में पेश किया गया है एवं विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1962 का पृथक से पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली है। न्यायालय हाजा द्वारा 005/2023(रसद) अनवानी कैलाशचन्द्र बनाम जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 25.07.2023 प्रार्थी के व्यतिक्रम में खारीज किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध नकल निर्णय दिनांक 25.07.2023 से प्रमाणित होता है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण का निर्णय गुणावगुण पर नहीं किया जाकर व्यतिक्रम में किया गया है। इस तथ्य को हाजिर पैरोकार सरकार स्वयं स्वीकार किया गया है कि अपील का निस्तारण गुणावगुण पर नहीं किया गया व्यतिक्रम में किया गया, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु प्रार्थी/अपीलार्थी की और से पुनः सुनवाई हेतु प्रार्थना–पत्र बेरून मियाद में पेश किया गया है ऐसी स्थिति प्रार्थी की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1962 को रूपये 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये मात्र की कॉस्ट राशि पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत में हुये विलम्ब को क्षम्य किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत मियाद शुमार किया जाता है। वकील प्रार्थी कॉस्ट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	राशि विधिक सहायता में जमा करा रसीद/चालान प्रस्तुत करावें, फलत् वकील प्रार्थी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् प्रकरण संख्या 005/2023(रसद) अनवानी कैलाशचन्द्र बनाम जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 25.07.2023 को पुनः सुनवाई हेतु संस्थित किये जाने को स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण संख्या 005/2023(रसद) अनवानी कैलाशचन्द्र बनाम जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 25.07.2023 को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली को नियमानुसार पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 005/2023(रसद) अनवानी कैलाशचन्द्र बनाम जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 25.07.2023 के साथ हम किता रहे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **-SD-** (आलोक रंजन) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ **21.05.2024** सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	